

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 111/2008

दायर दिनांक 31.07.2008

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>1. टीकूराम पुत्र गंगाराम, (फौत), के वारिशान्- 1/1 रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय टीकूराम, 1/2 सूवटीदेवी पत्नी स्वर्गीय टीकूराम, 1/3 भँवरीदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/4 सरजूदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/5 प्रमिलादेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/6 मुन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>1. सन्तोष पत्नी रामनिवास, 2. सुनिता पुत्री रामनिवास, 3. सूवटी पत्नी मूलाराम, 4. शंकरराम पुत्र लालाराम, 5. कानाराम पुत्र लालाराम, 6. झमकुदेवी पत्नी गणेशाराम, 7. पेमराम पुत्र मोहनराम, 8. मुन्नी पत्नी राजूराम, 9. रूगाराम पुत्र गंगाराम, 10. भँवरलाल पुत्र तुलछाराम,(फौत), के वारिशान्- 10/1 टकली उर्फ सरला पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, 10/2 जैतुड़ी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल, 10/3 हुक्माराम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 10/4 विकाश उर्फ मुकेश पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र-13साल, नाबालिग जरिये कुदरती माता टकली उर्फ सरला, 11. पप्पूराम पुत्र तुलछाराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. शायरीदेवी पत्नी हनुमानराम, 14. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>

बनाम्

2-2
सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 111/2008
दायर दिनांक 31.07.2008, निर्णय दिनांक 18.05.2018
टीकूराम,(फौत), के वारिशान्-रामदेवारा, वगैरा बनाम् सन्तोष, वगैरा।

दावा बाबत्
बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-


1. पक्षकारान्।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 18.05.2018

शरहद मौजा डसाणाकलाँ तहसील डीडवाना के आराजी
खसरा संख्या 309 रकबा 59.12 बीघा, खसरा नम्बर 285 रकबा 50.03
बीघा व खसरा नम्बर 300 रकबा 04.18 बीघा व खसरा नम्बर 306 रकबा
0.06 बीघा गैरमुमकिन बाड़ा एव खसरा नम्बर 345 रकबा 29.17 बीघा भूमि
के बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनांक 07.06.2017
को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश
तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प-आकोदा में
पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कोर्ट कैम्प दिनांक 18.05.2018
को विभाजन प्रस्तावित किया। बन्तवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार
डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा
प्रस्तावित विभाजन दिनांक 18.05.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद
अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलायटर
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 111/2008
 दायर दिनांक 31.07.2008, निर्णय दिनांक 18.05.2018
 टीकूराम,(फौत), के वारिशान्-रामदेवारा, वगैरा बनाम् सन्तोष, वगैरा।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा डसाणाकलाँ तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 309 रकबा 59.12 बीघा, खसरा नम्बर 285 रकबा 50.03 बीघा व खसरा नम्बर 300 रकबा 04.18 बीघा व खसरा नम्बर 306 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन बाड़ा एव खसरा नम्बर 345 रकबा 29.17 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन दिनांक 18.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S. जजवर

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-बरड़वा

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

R.A.S.

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-बरड़वा

डिक्री बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 111/2008

दायर दिनांक 31.07.2008

वादीगण	प्रतिवादीगण
<p>1. टीकूराम पुत्र गंगाराम, (फौत), के वारिशान्- 1/1 रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय टीकूराम, 1/2 सूवटीदेवी पत्नी स्वर्गीय टीकूराम, 1/3 भँवरीदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/4 सरजूदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/5 प्रमिलादेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, 1/6 मुन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय टीकूराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>बनाम्</p> <p>1. सन्तोष पत्नी रामनिवास, 2. सुनिता पुत्री रामनिवास, 3. सूवटी पत्नी मूलाराम, 4. शंकरराम पुत्र लालाराम, 5. कानाराम पुत्र लालाराम, 6. झमकुदेवी पत्नी गणेशाराम, 7. पेमाराम पुत्र मोहनराम, 8. मुन्नी पत्नी राजूराम, 9. रूगाराम पुत्र गंगाराम, 10. भँवरलाल पुत्र तुलछाराम,(फौत), के वारिशान्- 10/1 टकली उर्फ सरला पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल, 10/2 जैतुड़ी पुत्री स्वर्गीय भँवरलाल, 10/3 हुक्माराम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, 10/4 विकास उर्फ मुकेश पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल, उम्र-13साल, नाबालिग जरिये कुदरती माता टकली उर्फ सरला, 11. पप्पूराम पुत्र तुलछाराम, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. शायरीदेवी पत्नी हनुमानराम, 14. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल, समस्त,जाति-मेघवाल, निवासी-डसाणाकलाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>


सहायक कलक्टर
डीडवाना

**दावा बाबत
बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.**

दिनांक 18.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा डसाणाकलॉ तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 309 रकबा 59.12 बीघा, खसरा नम्बर 285 रकबा 50.03 बीघा व खसरा नम्बर 300 रकबा 04.18 बीघा व खसरा नम्बर 306 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन बाड़ा एव खसरा नम्बर 345 रकबा 29.17 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन दिनांक 18.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

**सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-आकोदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

**सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-आकोदा**